

**गृह मंत्रालय**  
**मांग संख्या 54**  
**पुलिस**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	20.20 206.50 226.70	8952.14 1229.83 10181.97	8972.34 1436.33 10408.67	20.20 206.50 226.70	9266.64 915.33 10181.97	9286.84 1121.83 10408.67	25.80 246.00 271.80	10786.70 1273.30 12060.00	10812.50 1519.30 12331.80	
<b>पुलिस</b>										
1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	2055	...	1918.08	...	1918.08	1918.08	0.50	2330.03	2330.53	
2. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	2055	...	100.78	...	110.19	110.19	...	125.28	125.28	
3. सीमा सुरक्षा बल	2055	2.27	2516.25	2.27	2516.25	2518.52	2.00	2955.79	2957.79	
4. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	2055	0.55	440.97	0.55	440.97	441.52	0.50	533.76	534.26	
5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2055	0.43	803.13	0.43	803.13	803.56	0.43	872.55	872.98	
6. असम राइफल	2055	...	749.76	...	749.26	749.26	1.00	838.82	839.82	
7. विशेष सेवा ब्यूरो	2055	...	335.56	...	319.36	319.36	0.25	357.90	358.15	
8. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	2055	1.75	21.68	1.75	23.89	25.64	2.57	25.72	28.29	
9. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	2055	5.50	15.18	5.50	17.79	23.29	4.50	23.37	27.87	
10. अन्तर्राज्यीय पुलिस वायरलेस योजना	2055	...	29.07	...	30.80	30.80	...	32.49	32.49	
11. विशेष पुलिस	2055	...	222.37	...	222.37	222.37	...	280.00	280.00	
12. पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2055	...	...	...	...	...	...	300.00	300.00	
	3601	...	325.00	...	639.50	639.50	...	500.00	500.00	
	7601	...	325.00	...	10.50	10.50	...	...	...	
	जोड़	...	650.00	...	650.00	650.00	...	800.00	800.00	
13. दिल्ली पुलिस	2055	9.50	890.00	9.50	890.00	899.50	14.00	950.36	964.36	
14. अन्य योजनाएं										
14.01 अन्य मदें	2055	0.20	55.45	0.20	56.19	56.39	0.05	60.02	60.07	
14.02 बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	3601	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	
14.03 इंडिया रिजर्व बटालियन	3601	...	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00	
	7601	...	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00	
	जोड़	...	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	32.00	
14.04 राज्यों को विशेष सहायता	3601	...	450.00	...	450.00	450.00	...	503.00	503.00	
<b>जोड़-अन्य योजनाएं</b>		<b>0.20</b>	<b>547.45</b>	<b>0.20</b>	<b>548.19</b>	<b>548.39</b>	<b>0.05</b>	<b>605.02</b>	<b>605.07</b>	
<b>जोड़-पुलिस</b>		<b>20.20</b>	<b>9240.28</b>	<b>20.20</b>	<b>9240.28</b>	<b>9260.48</b>	<b>25.80</b>	<b>10731.09</b>	<b>10756.89</b>	
<b>आवास</b>										
15. पुलिस के लिये रिहायशी आवास का निर्माण										
15.01 केन्द्रीय पुलिस संगठन	4055	101.00	138.30	101.00	152.30	253.30	120.00	218.20	338.20	
15.02 दिल्ली पुलिस	4055	49.00	...	49.00	...	49.00	55.00	...	55.00	
15.03 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एक मुश्त व्यवस्था	4552	25.00	...	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00	
<b>जोड़-पुलिस के लिये रिहायशी आवास का निर्माण लोक निर्माण कार्य</b>		<b>175.00</b>	<b>138.30</b>	<b>175.00</b>	<b>152.30</b>	<b>327.30</b>	<b>205.00</b>	<b>218.20</b>	<b>423.20</b>	
16. पुलिस के लिये भवनों का निर्माण										
16.01 केन्द्रीय पुलिस संगठन	4055	...	273.90	...	273.90	273.90	...	360.17	360.17	
16.02 दिल्ली पुलिस	4055	30.00	...	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00	
<b>जोड़-लोक निर्माण कार्य</b>		<b>30.00</b>	<b>273.90</b>	<b>30.00</b>	<b>273.90</b>	<b>303.90</b>	<b>35.00</b>	<b>360.17</b>	<b>395.17</b>	
<b>सड़कें और पुल</b>										
<b>भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य</b>										
17. कांटेदार बाड़ लगाना	4055	...	80.00	...	160.00	160.00	...	270.47	270.47	
18. सड़कों का निर्माण	4055	...	120.68	...	41.68	41.68	...	170.61	170.61	
<b>जोड़-भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य</b>		<b>...</b>	<b>200.68</b>	<b>...</b>	<b>201.68</b>	<b>201.68</b>	<b>...</b>	<b>441.08</b>	<b>441.08</b>	
19. भारत-पाकिस्तान सीमा संबंधी निर्माण कार्य	4055	...	131.10	...	130.06	130.06	...	196.75	196.75	
20. दिल्ली पुलिस-यातायात संकेतों आदि को लगाना	4055	1.50	...	1.50	...	1.50	6.00	...	6.00	
21. विविध मदें	2055	...	52.86	...	52.86	52.86	...	71.61	71.61	
	4055	...	144.85	...	130.89	130.89	...	41.10	41.10	
	जोड़	...	197.71	...	183.75	183.75	...	112.71	112.71	
<b>कुल जोड़</b>		<b>226.70</b>	<b>10181.97</b>	<b>226.70</b>	<b>10181.97</b>	<b>10408.67</b>	<b>271.80</b>	<b>12060.00</b>	<b>12331.80</b>	
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. पुलिस	32055	226.70	...	226.70	226.70	...	226.70	271.80	...	271.80

1. **केन्द्रीय रिजर्व पुलिस** : यह पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करती है और राज्यों द्वारा सहायता मांगे जाने पर विभिन्न प्रकार के आन्तरिक सुरक्षा कार्य करती है। इस बल का प्राकृतिक विपदाओं के समय राहत कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

2. **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड** : राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सभी प्रकार के आंतकवाद का मुकाबला करने के लिए एक विशिष्ट बल है। इसी पृष्ठभूमि के साथ 1984 में संघीय बल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन किया गया था जिसका प्रयोजन बढ़ते हुए सभी प्रकार के आंतकवाद का मुकाबला करने में विशेष दक्षता की आवश्यकता वाली विशिष्ट स्थिति से निपटना था।

3. **सीमा सुरक्षा बल** : जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी रखने, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत-पाक सीमा, भारत-बंगलादेश और भारत-म्यांमार सीमा पर तैनाती के अपने सामान्य कार्य के अलावा, यह बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन को प्रभावी सहायता प्रदान करता है। यह सीमा-स्थित/स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है और सीमा क्षेत्र में होने वाले अपराधों और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को रोकता है।

4. **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस** : भारत-तिब्बत सीमा पुलिस उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्रों से लगी भारत-तिब्बत सीमा की चौकसी करने के लिए है।

5. **केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल** : यह बल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र / राज्य सरकार की सम्पत्तियों की सुरक्षा करने में सहायता करता है।

6. **असम राइफल्स** : असम राइफल्स देश का सबसे पुराना सशस्त्र अर्ध-सैनिक बल है। अधिकांश बल सेना के नियंत्रणाधीन उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य करता है। जम्मू और कश्मीर में कुछ बटालियनों की तैनाती भी की गई है।

7. **विशेष सेवा ब्यूरो**: यह दूसरा सीमा रक्षक बल है जिसे उत्तरांचल से सिक्किम तक भारत-नेपाल सीमा पर नियुक्त किया गया है। इस बल को उत्तर-पूर्वी, जम्मू-कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ आदि के आन्तरिक सुरक्षा कार्यों हेतु भी लगाया गया है।

8. **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान** : इसके अन्तर्गत सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विधि संस्थान, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो पर होने वाले स्वर्च को पूरा किया जाता है।

9. **अपराध संबंधी अन्वेषण और सतर्कता** : इसके अंतर्गत केन्द्रीय अपराध विधि-विज्ञान प्रयोगशाला और विवादास्पद कागज-पत्रों के सरकारी परीक्षण आदि के कार्यालय के लिए स्वर्च की व्यवस्था शामिल है।

10. **अन्तर-राज्यीय पुलिस वायरलेस स्कीम** : राज्यों से और राज्यों को संदेश प्रसारण के अतिरिक्त इसका उद्देश्य माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आधुनिक उपस्करों का उपयोग करके इस पद्धति को आधुनिक बनाना है।

11. **विशेष पुलिस** : इसमें जेएण्डके लाइट इन्फैण्ट्री के संबंध में रक्षा मंत्रालय को अदा किए गए प्रभार, सीमा सुरक्षा चौकियों के रखरखाव के लिए

राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और राष्ट्रीय तकनीकी सुविधा संगठन (एनटीएफओ) के स्वर्च हेतु प्रावधान शामिल है।

12. **पुलिस बल का आधुनिकीकरण** : इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में नकद और वस्तुओं के रूप सहायता प्रदान की जाती है जिसे वाहनों, वायरलेस उपस्करों, कम्प्यूटरों और अन्य आधुनिक उपस्करों की स्वीद पर किए जाने वाले अनावर्ती स्वरूप के स्वर्च के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

13. और 20. **दिल्ली पुलिस** : दिल्ली पुलिस को दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनकी जिम्मेदारियां यातायात व्यवस्था, अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने, लाइसेंस जारी करने और विदेशियों का पंजीकरण करने आदि के संबंध में भी है। दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था एक आरक्षित विषय है जिसे केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रखा गया है। दिल्ली पुलिस का व्यय जिसे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा पूरा किया जाता था, को पहली अगस्त, 1996 से केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

पूँजी स्पाते में व्यवस्था दिल्ली क्षेत्र में यातायात संकेतों आदि को लगाने के संबंध में व्यय के लिए है।

14. **अन्य स्कीमें** : इसमें राष्ट्रीय अपराध अभिलेख कार्यालय, आयुक्त (सीमा) राज्य सरकारों को बटालियनों को तैनात करने और भारत रिजर्व बटालियन के गठन के लिए वस्तु रूप में दिए जाने वाले अन्य अनुदान और ऋण, सुरक्षा सम्बन्धित व्यय आदि हेतु व्यवस्था उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण और तटीय निगरानी के लिए राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है।

15. **पुलिस के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण** : यह प्रावधान केन्द्रीय पुलिस संगठन (असम राइफल्स, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आदि) और दिल्ली पुलिस के लिये रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए दिया गया है।

16. **पुलिस के लिए इमारतों का निर्माण** : इसमें सीमा चौकियों, केन्द्रीय पुलिस संगठन (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल आदि) और दिल्ली पुलिस के लिए इमारतों के निर्माण का स्वर्च शामिल है।

17. और 18. **भारत-बांग्लादेश सीमा संबंधी निर्माण कार्य** : भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर कांटेदार तार और बाड़ लगाने तथा सड़कों के निर्माण का उद्देश्य अवैध आब्रजन को रोकना है।

19. **भारत-पाकिस्तान सीमा संबंधी निर्माण कार्य** : इस योजना के अंतर्गत भारत-पाक सीमा से आने वाले हथियारों और गोला-बारूद को रोकने के लिये व्यवस्था की गई है।

21. इसमें भारत-बांग्लादेश तथा भारत-पाक सीमा संबंधी कार्यों की देखभाल के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल द्वारा वायुयान/नदी नौकाओं की स्वीद करने हेतु प्रावधान की व्यवस्था भी शामिल है। इसमें अन्य सीमा संबंधी प्रबंध कार्यों, अवसंरचना निर्माण कार्य, भारत-चीन सीमा, भारत म्यांमार सीमा संबंधी कार्यों तथा भारत-पाकिस्तान सीमा और भारत-बांग्लादेश सीमा तथा अन्य सीमाओं संबंधी प्रबंध कार्यों के लिए प्रावधान शामिल है।